तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामेश्वर बनाम श्री भैरू** **2/17**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.17	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी. पी.सी. के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त को अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2017 को क्रय कर लिया है इसलिये अब अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नही रहा है इसलिये अब अपीलार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील में कोई अनुतोष नही चाहिये एवं अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील को बिना किसी शर्त एवं शरायत के विड्रो करना चाहते है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को बिना किसी शर्त एवं शरायत विड्रो फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त जयपुर	